Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

दिनांक 03/11/2025

पत्रांकः–794 उ0शि0नि0मं0श्री0/

वाद संख्या–188/2025

वादी

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड
अंजनीसैंण, जाखणीधार
टिहरी गढवाल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

कोरम

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, अंजनीसैंण, जाखणीधार, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि We have permanent electric connection having account No-40109938035, 20KW connected load in the name of Indus Towers limited at location-ANJANISEN under SRINAGAR Divison.

Issued bill for the month of May-25 in witch avnormal 22,839 Units consumption shown and bill raised for the amount Rs-160,826/- Such huge consumption is not possible in any condition for 20KW connection for 1 month.

We have multiple times approach to division for correction of bill but no response is received.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharge are also claiming.

3/11/25.

3/11/2025

Therefore, we request you kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed by the Discom. इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 679, दिनांक 03.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 705, दिनांक 18.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 745 , दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को मीटिंग हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता, (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी कीर्तिनगर उपस्थित हुये तथा वादी उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी सहायक अभियन्ता, (राजस्व) द्वारा अवगत कराया गया कि वादी का बिल भूलवश गलत रीडिंग के आधार पर निर्गत कर दिया गया था। यद्यपि विपक्षी द्वारा संशोधित बिल प्रस्तुत नहीं किय गया है।

आदेश

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वादी के मीटर की MRI कराकर सही रीडिंग के बिल निर्गत करें एवं अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रस्तुत करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

Amit Thakur 3/11/25   3/11/2025

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

Amit Thakur
3/11/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, अंजनीसैंण, जाखणीधार, टिहरी गढवाल

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–795 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 03 / 11 / 2025

वाद संख्या–189 / 2025

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड वादी
निरंजनीबाग
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, निरंजनीबाग, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि We have permanent electric connection having account No-41701016996, 16KW connected load in the name of Indus Towers limited at location-Srinagar under SRINAGAR Divison.

Issued bill for the month of Apr-25 in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the Unjustified amount Rs- 3,190.68/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factore is always beyond 95% we have multiple times approach to division for correction of wrogly charges PF surcharge but neither bill is corrected, not MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharge are also claiming.

Amit Thakur 3/11/25. 3/11/2025

Therefore, we request you kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as on account of mentaly harassed to us. इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 680, दिनांक 03.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 706, दिनांक 18.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 746, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4104 दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत बीजक में आवश्यक संशोधित कर दिये गये हैं।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। वादी के बिल में गलत KVAH रीडिंग डालने के कारण L.P.F Charge लगा दिया गया था जिसको कि विपक्षी द्वारा बिल से घटा दिया गया है।

3/11/25

3/11/2025

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

Amit Thakur 3/11/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, निरंजनीबाग, श्रीनगर गढवाल।

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

पत्रांकः–796 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 03 / 11 / 2025

वाद संख्या–190 / 2025

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड वादी
कोठड
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, कोठड, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि We have permanent electric connection having account No- 40120104561, 21KW connected load in the name of Indus Towers limited at location- KOTHER under SRINAGAR Divison.

Issued bill for the month of Apr-25 in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the Unjustified amount Rs- 5,116.55/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factore is always beyond 95% we have multiple times approach to division for correction of wrogly charges PF surcharge but neither bill is corrected, not MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharge are also claiming.

Amit Thakur 3/11/25 3/11/2025

Therefore, we request you kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as on account of mentaly harassed to us. इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 681, दिनांक 03.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 708, दिनांक 18.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 747 , दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। सहायक अभियन्ता, (राजस्व) द्वारा अवगत कराया गया कि वादी के मीटर की MRI न होने के कारण वादी को गलत रीडिंग के आधार पर L.P.F का बिल निर्गत कर दिया गया था। यद्यपि विपक्षी द्वारा संशोधित बिल मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वादी के मीटर की MRI न होने के कारण रीडिंग Manually करायें एवं उसके आधार पर Power Factor की गणना कर सही बिल निर्गत करें एवं अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रस्तुत करें।

Amit Chauhan 3/11/25

3/11/2025

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

3/11/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, कोठड, श्रीनगर गढवाल।

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–797 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 03 / 11 / 2025

वाद संख्या–191 / 2025

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड
सुमाडी
श्रीनगर गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। — विपक्षी

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, सुमाडी, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि We have permanent electric connection having account No- 40109937101, 18KW connected load in the name of Indus Towers limited at location- SUMARI under SRINAGAR Divison.

Issued bill for the month of July-25 in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the Unjustified amount Rs- 1,341.53/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factore is always beyond 95% we have multiple times approach to division for correction of wrogly charges PF surcharge but neither bill is corrected, not MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharge are also claiming.

Amit Thakur 3/11/25

3/11/2025

Therefore, we request you kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as on account of mentaly harassed to us. इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 682, दिनांक 03.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 707, दिनांक 18.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 748 , दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4106, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत बीजक में आवश्यक संशोधित कर दिये गये हैं।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। वादी के बिल में गलत KVAH रीडिंग डालने के कारण L.P.F Charge लगा दिया गया था जिसको कि विपक्षी द्वारा बिल से घटा दिया गया है।

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

3/11/25   3/11/2025

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

3/11/25

अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

3/11/2025

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, सुमाडी, श्रीनगर गढवाल।

3/11/2025

रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–798 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 03 / 11 / 2025

वाद संख्या–192 / 2025

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड वादी
ग्राम–स्वीत, पो0–स्वीत
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) *कोरम*
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, स्वीत, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 01.09.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि We have permanent electric connection having account No- 41701066357, 17KW connected load in the name of Indus Towers limited at location- SANDRE under SRINAGAR Divison.

Issued bill for the month of July-25 in which Concocted KVAH punched & wrongly Low Power Factor surcharge levied for the Unjustified amount Rs- 1,149.33/-

We don't have any motive load connected at premise, our average power factore is always beyond 95% we have multiple times approach to division for correction of wrogly charges PF surcharge but neither bill is corrected, not MRI report is providing to us.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharge are also claiming.

Amit Thakur 3/11/25. 3/11/2025

Therefore, we request you kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as on account of mentaly harassed to us. इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 683, दिनांक 03.09.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 709, दिनांक 18.09.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 749 , दिनांक 10.10.2025 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 30.10.2025 निश्चित् की गई।

विपक्षी ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0–4105, दिनांक 29.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत बीजक में आवश्यक संशोधित कर दिये गये हैं।

विश्लेषण

आज दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई हुई, जिसमें विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित हुये एवं वादी उपस्थित नहीं हुये। वादी के बिल में गलत KVAH रीडिंग डालने के कारण L.P.F Charge लगा दिया गया था जिसको कि विपक्षी द्वारा बिल से घटा दिया गया है।

आदेश

वादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

3/11/25

3/11/2025

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

Amit Thakur
3/11/25.
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड, स्वीत, श्रीनगर गढवाल।

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum (Srinagar Garhwal)
2nd flour Nursary Road
Srinagar Garhwal – 246174
E mail: Cgrfsrinagar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर गढ़वाल)
द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल
श्रीनगर गढ़वाल – 246174
ईमेलः Cgrfsrinagar@gmail.com

पत्रांकः–799 उ0शि0नि0मं0श्री0 / दिनांक 03 / 11 / 2025

वाद संख्या–204 / 2025

श्री सुमन प्रसाद चमोली **वादी**
ग्राम–ढामक, पो0–कलियासौड़
निकट शान्तिकुन्ज रिसोर्ट
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड **विपक्षी**
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) ***कोरम***
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सुमन प्रसाद चमोली, ग्राम–ढामक, पो0–कलियासौड, निकट शान्तिकुन्ज रिसोर्ट, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 09.10.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि शान्तिकुन्ज रिसोर्ट के समीप एक विद्युत पोल दलदलीय भूमि पर स्थित है जिस कारण विद्युत पोल के गिरने की आशंका है एवं दुर्घटना की पूर्णतः सम्भावना बनी हुई है, साथ ही वादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत पोल पर अभी सप्लाई नहीं है इस स्थिति में पोल स्थानान्तरित किया जा सकता है। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा पूर्व में भी विद्युत विभाग में शिकायत की गई थी परन्तु आतिथि तक शिकायत का निस्तारण नही किया गया है जिससे वादी को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर को अपने पत्रांक सं0 731, दिनांक 09.10.2025 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

Amit Thakur 3/11/25 3/11/2025

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 764, दिनांक 25.10.2025 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विश्लेषण

आज दिनांक 03.11.2025 को बैठक हुई। वादी द्वारा पोल सिफ्टिंग हेतु सीधे ही शिकायती पत्र मंच को उपलब्ध कराया है, वादी द्वारा इस सम्बन्ध में विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर में कोई सम्पर्क नहीं किया गया है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश) विनियम, 2019 के अध्याय 3 की धारा 3.1 के बिन्दु सं0–5 में वर्णित फोरम विद्युत लाईनों/खम्भों/उपकरणों को हटाने से सम्बन्धित किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

आदेश

वादी को सलाह दी जाती है कि वह पोल सिफ्टिंग हेतु विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर में अपनी शिकायत दर्ज करायें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

3/11/25
अमित ठाकुर
सदस्य (उपभोक्ता)

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल।

02. श्री सुमन प्रसाद चमोली, ग्राम–ढामक, पो0–कलियासौड, निकट शान्तिकुन्ज रिसोर्ट, पौडी गढवाल।

3/11/2025
रजनीश अग्रवाल
सदस्य (तकनीकी)